

FROM No. -111
फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम लाम्बा
ता रामनिवास चौधरी बनाम हनुमन्त सिंह पिता इल्लेल सिंह राजपूत
बलपुरा, निवासी - लाम्बा
गला- नागौर

रूम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घाश-128 रा.ले.रेवे. एकट प्रकरण संख्या- 803/2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत में प्रस्तुत
दस्तावेजों की हक
हुकम की तारीख
में जारी हुई

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीयण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सन् 2073 से 2076 मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नं 1966 रकबा 11 बीघा 03 बिसवा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

--आदेश--

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नं 1966 रकबा 11 बीघा 03 बिसवा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- गागेडा को 1,500/-रुपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प